

**मांग संख्या 08**  
**मुख्य शीर्ष 2029**

**मद क्रमांक 1**

नजूल स्थापना के अंतर्गत स्वीकृत अमले के वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 46.40 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 46,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला के लिये स्वीकृत अमले के वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 20.73 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 20,73,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3 से 4**

राज्य के भू-अभिलेखों के अद्यतीकरण पर राशि रूपये 473.40 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 5**

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन संबंधी अनुदानों को समय पर भेजने की योजना अंतर्गत स्वीकृत अमले के वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 4.16 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 4,16,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 6**

राज्य के भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण कार्य पर राशि रूपये 52.06 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2053**

**मद क्रमांक 7**

जिला स्थापना कार्यालय के लिये स्वीकृत अमले के वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 643.86 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 6,43,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 8**

संभागीय आयुक्त कार्यालय के वेतन, भत्ते हेतु राशि रूपये 21.75 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 21,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।